अपील सूचना अधिकार संख्या 90/2021(GCMS 2021/46)(आरटीआई नं. 212571510453614) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 72 वर्ष निवासी 23–के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्टल ऑर्डर नं. 52एफ/509321) बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

22.03.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने **लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर** से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.06.2021 से पन्द्रह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.06.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न पन्द्रह बिन्दुओ की सूचना चाही थी:

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने दिनांक 19.03.2019 को कोषाधिकारी श्रीगंगानगर को श्री सुरेन्द्र सिंह असीजा को अप्रेल 2000 का स्टाम्प वेण्डर रजिस्टर, स्टाम्प विक्रेता श्री महेन्द्र छाबडा द्वारा जिला कोष कार्यालय, श्रीगंगानगर में जमा न करवाने के आधार पर सम्बन्धित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश पारित किये थे, इस बाबत सूचना।
2. प्रार्थी का पत्रांक दिनांक [illegible] श्रीमान के कार्यालय में पहुंचने का पत्र प्राप्ति पंजिका की नम्बर व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

3. पत्र प्राप्ति से दिनांक 20.04.2020 तक उपरोक्त प्रार्थी के पत्र पर जो जो कार्यवाही जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा की गयी, उसका नाम व पद की सूचना व कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
4. राजस्व मंडल अजमेर के उप नियंत्रक (जांच) के पत्रांक 6872 दिनांक 23.08.2018 से श्री महेन्द्र छाबड़ा के विरूद्ध जांच कर कार्यवाही करने की सूचना दिनांक 20.04.2020 तक व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
5. श्री सुरेन्द्र सिंह असीजा के विरूद्ध एफआईआर व धारा 188 आईपीसी के तहत की गई कार्यवाकी की सूचना।
6. प्रार्थी के पत्रांक पर दिनांक 20.04.2020 तक कार्यवाही जिस विभागीय .... के अन्तर्गत नहीं की गयी है, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
7. दिनांक 11.04.2000 को उप पंजीयक कार्यालय, श्रीगंगानगर में वसीयत निरस्तीकरण हेतु मोनिका देवी पत्नी स्व. भगवान दास द्वारा प्रस्तुत होना दर्ज करवायी है इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रति प्रार्थी के पत्रांक की बिन्दु संख्या 3 के अनुसार।
8. स्टाम्प अधिनियम 1955 के नियम 35 अंकित है कि क्रेता .... होने पर उसक अंगूठा निशान लगाया जाता है। महेन्द्र छाबड़ा विक्रेता द्वारा स्टाम्प विक्रय करते समय जिस क्रेता का अंगूठा या हस्ताक्षर करवाये गये है, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
9. जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रय करते समय लगाये गये दिनांक 08.04.2000 को उस व्यक्ति का नाम व पत्र की सूचना व प्रमाणित प्रति।
10. कोषाधिकारी श्री [illegible] श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 97 दिनांक 09.09.2019 से स्वीकार किया है कि श्री महेन्द्र छाबड़ा वर्ष 2000–2001 का स्टाम्प (विक्रय) वेण्डर रजिस्टर कोष कार्यालय में जमा नहीं करवाया है इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

11. जिला पंजीयक श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 651 दिनांक 05.04.2019 से कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को महेन्द्र छाबड़ा स्टाम्प वेण्डरके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाने हेतु लिखा था, इस बाबात सूचना।
12. कोषाधिकारी द्वारा इस पत्र पर कार्यवाही जो की गई, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
13. आपके आदेश की पालना न करने पर विभाग द्वारा जो कार्यवाही की गयी, उसकी सूचना।
14. आपके आदेश की पालना न करने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
15. प्रार्थी के पत्रांक दिनांक 02.08.19, 03.10.19, 24.06.19, 23.09.19, 01.10.19, 17.10.19, 30.10.19, 12.04.19 व 13.05.19 से जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को लिखे गये पत्रांक पर की गयी कार्यवाही व कार्यवाही की सूचना व इस पर दिये गये सम्बन्धित विभाग .... कार्यवाही की सूचना।

प्रभारी अधिकारी पंजीयन एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक पंजीयन/2021/884 दिनांक 27.07.2021 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र से आप द्वारा इस कार्यालय से आरटीआई प्रार्थना पत्र में बिन्दु संख्या 1 से 15 तक देय बिन्दुवार सूचना, पृष्ठ एवं राशि का विवरण निम्नानुसार है –

बिन्दु सं. 1 – 1 पृष्ठ – 02 [illegible]
बिन्दु सं. 10 – [illegible]
बिन्दु सं. 11 – 1 पृष्ठ – 02 [illegible]

कुल 08 रूपये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इसके अतिरक्त प्रार्थी संबंधित पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में वांछित प्रति प्राप्त कर सकता है।

सूचना प्रेषित है।

-sd-
प्रभारी अधिकारी (पंजीयन)
एवं अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी(पंजीयन) एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब प्रेषित किया है जिसके अनुसार अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार राजकोष में राशि जमा कर बिन्दु संख्या 1, 10 एवं 11 सूचना प्राप्त कर सकता हैं। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी पंजीयन ने शेष बिन्दुओं की सूचना हेतु प्रार्थी को सूचित नहीं किया है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को दिनांक 27.07.2021 को बिन्दु संख्या 1, 10 व 11 की हद तक सही है और **अपीलार्थी के शेष बिन्दुओं 2 से 9 एवं 12 से 15 सम्बन्ध में प्रकरण रिमाण्ड किया जाता है और निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को उसके शेष बिन्दुओं के सम्बन्ध में भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत आदेश प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर अपीलार्थी को सूचित करें।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील रिमाण्ड(प्रतिप्रेषित) की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी पंजीयन एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:21:20 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर